

प्रबन्ध मण्डल की आठवी बैठक दिनांक 25-07-2008 का कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की आठवी बैठक दिनांक 25-07-2008 को अपरान्ह 1:00 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर के मीटिंग हॉल में माननीय कुलपति महोदय डॉ. सी.बी. गेना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. डॉ. सी.बी.गेना - कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. डॉ. ओ.पी. महेन्द्रा -माननीय विधायक केसरीसिंहपुर- सदस्य
3. श्री जीतराम - माननीय विधायक मालपुरा - सदस्य
4. डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल - सदस्य
5. प्रो. बी.पी. सारस्वत - सदस्य
6. प्रो.एल.एन. गुप्ता - सदस्य
7. श्री प्रेम कुमार - सदस्य
8. डॉ. श्रवण सिंह - सदस्य
9. डॉ. एस.एन. शर्मा - सदस्य
10. श्री श्याम सुन्दर रांकावत - कुलसचिव, एवं सदस्य सचिव
11. श्री अरविन्द सिंह शेखावत - वित्त नियंत्रक, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त)
12. श्री के.एस. बीका - वित्त नियंत्रक- स्थाई आमंत्रित सदस्य ।
13. श्री उमेश चतुर्वेदी - परीक्षा नियंत्रक- स्थाई आमंत्रित सदस्य।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा प्रबन्ध मण्डल के नव मनोनीत सदस्य श्री श्रवण सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक का कोरम पूर्ण पाये जाने पर माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में हुए विचार-विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

M

1. बीवि/बोम-8/2008/68 : प्रबन्ध मण्डल की सातवी बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :-

(i) बैठक की कार्यवाही में चर्चा के दौरान माननीय सदस्यगण डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल और प्रो. बी.पी. सारस्वत द्वारा सुझाव दिया गया कि वित्त नियंत्रक व परीक्षा नियंत्रक के पदनाम के आगे विशेष आमंत्रित सदस्य उल्लेखित किया जावे। माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि अनुपालना में " कोई कार्यवाही शेष नहीं है" के स्थान पर "अनुपालना की जा चुकी है" शब्द का उपयोग किया जाये।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा इन सुझावों को स्वीकार किया गया।

(ii) नेशनल कन्या महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता बहाल करने के बिन्दु के सम्बन्ध में सदस्यगण द्वारा इस आशय की राय व्यक्त की गई की महाविद्यालयों का निरीक्षण एक निश्चित अवधि में पूरा कर लिया जाना चाहिए, इसकी समय सीमा तय की जानी चाहिए।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस सुझाव के अनुरूप कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

(iii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आश्रितों को शोध के लिए शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान करने सम्बन्धित बिन्दु संख्या 4 के बाबत चर्चा के दौरान माननीय सदस्यगण डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल और प्रो. बी.पी. सारस्वत द्वारा व्यक्त किया गया कि इस बिन्दु के सम्बन्ध में पिछली बैठक में ही निर्णय लिया जा चुका है कि कोई शुल्क मुक्ति सम्भव नहीं है। अतः इस बिन्दु के सम्बन्ध में अब कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

(iv) प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों को राजकीय विश्राम गृह, विश्वविद्यालय अतिथि गृह, राज्य पर्यटन विकास निगम, होटल्स इत्यादि में ठहराव सम्बन्धी एजेण्डा बिन्दु के सम्बन्ध में माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 23.03.08 के कार्यक्षेत्र को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जाये, जिस पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा इस सुझाव के अनुरूप कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। माननीय सदस्य प्रो.एल.एन. गुप्ता ने इस बिन्दु के सम्बन्ध में अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया की पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसके अवलोकन पश्चात् विचार विमर्श द्वारा आगामी बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

5-

(v) अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों को शोध पर्यवेक्षक के रूप में पंजीकृत करने के सम्बन्ध में सदस्यों के इस मत का अनुमोदन किया गया कि उन्हीं महाविद्यालयों, के संकाय सदस्यों के शोध पर्यवेक्षक के रूप में पंजीयन पर विचार किया जाए जिनके द्वारा इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त की गई हो।

(vi) खेल बोर्ड के गठन सम्बन्धी बिन्दु संख्या 9 के बारे में सदन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कुलपति महोदय के साथ डॉ. एस.एन. शर्मा विचार विमर्श करके नियमों के परिप्रेक्ष्य में खेल बोर्ड के गठन को पूर्ण कर ले।

2. बीवि/बोम-8/2008/69 : विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18.06.08 की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :-

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18.06.08 की कार्यवाही विवरण को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्य प्रो. एल.एन. गुप्ता ने सुझाव दिया कि जिन महाविद्यालयों को नवीन सम्बद्धता प्रदान की गई है, भविष्य में उसकी सूची कार्यवाही विवरण के साथ प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाए। माननीय सदस्य डॉ. ओ.पी. महेन्द्रा ने सुझाव दिया कि जिन महाविद्यालयों में सीट्स की अभिवृद्धि की जाती है उनकी सम्बद्धता फीस आनुपातिक रूप से बढ़ाई जानी चाहिए। इस पर अगले सत्र से विचार किये जाने का माननीय कुलपति महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है।

कार्यवाही :- सदन द्वारा सर्व सम्मति से विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18.06.08 की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

3. बीवि/बोम-8/2008/70 : विश्वविद्यालय भवन के प्रथम फेज की प्रगति रिपोर्ट, द्वितीय फेज, में प्रस्तावित निर्माण का विवरण एवं भवन के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

:- माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि:

(i) इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की कार्यकारी एजेन्सी मैसर्स आर.एस.आर.डी.सी. लि., बीकानेर इकाई के द्वारा दिनांक 25.05.08 तक फेज-1 के लिए रुपये 395.00 लाख का निर्माण कार्य सम्पन्न किया जा चुका है, जिसका पूरा भुगतान कार्यकारी एजेन्सी को कर दिया गया है। इस निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार की ओर से गत वित्तीय वर्ष 2007-08 तक कुल राशि रु. 367.25

लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए राज्य सरकार की ओर से प्राप्त वार्षिक योजना में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतः निर्माण कार्य की प्रगति बाधित न हो इस दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय के वर्ष 2008-09 के बजट प्रस्तावों में इस हेतु रुपये 300.00 लाख रू. का प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से प्रस्तावित किया गया है। इस निर्माण कार्य की समग्र संक्षिप्त स्थिति निम्न लिखित अनुसार है :-

क्र.सं.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	विशेष विवरण
1.	निर्माण कार्य फेज - प्रथम (i) कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक भवन, परीक्षा भवन, अतिथि गृह का निर्माण) (ii) प्रवेश द्वार मय दक्षिणी चार दीवारी, सड़क, पानी की टंकी निर्माण तथा विद्युत व पानी व्यवस्था)	550.00 175.00	368.25	एम.ओ.यू. दिनांक 14-12-2006 एम.ओ.यू. दिनांक 18-03-2008
2.	निर्माण कार्य फेज - द्वितीय (i) एकेडेमिक ब्लॉक (कॉलेज ऑफ साइन्स) (ii) लाइब्रेरी ब्लॉक (iii) पश्चिमी-उत्तरी कम्पाउण्ड वॉल (चार दीवारी निर्माण)	169.87 198.35 98.46	- - -	शहरी जन सहभागित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित शहरी जन सहभागित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित शहरी जन सहभागित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित
	कुल योग	1191.68	367.25	-

सदस्यों को अवगत कराया गया कि निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत को देखते हुए वित्तीय संसाधनों का नितान्त अभाव है। यद्यपि राज्य सरकार से भी निवेदन किया जाता रहा है कि वित्तीय संसाधनों के अभाव की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आगामी वर्ष के लिए पर्याप्त राशि आवंटित

की जावे, परन्तु अब तक बजट आवंटन के अभाव की स्थिति होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य को किसी भी स्टेज पर रोकना विश्वविद्यालय के हित में नहीं रहेगा।

अतः पूरा प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया कि राज्य सरकार से बजट आवंटन/अनुदान राशि की प्राप्ति के अभाव में उपरोक्त कार्यों का व्यय विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के बारे में उचित निर्णय लिया जावे।

(ii) बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के भवन निर्माण के प्रथम चरण में कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक भवन, परीक्षा ब्लॉक व अतिथि गृह के प्लान, प्रवेश द्वार मय दक्षिणी चार दीवारी, सड़क आर.एस.आर.डी.सी. के साथ हुए एम.ओ.यू. दिनांक 14-12-2006 के अनुसार किये गये व्यय, इत्यादि को भी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही पानी की टंकी निर्माण, विद्युत व पानी कनेक्शन हेतु भी राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कार्यकारी एजेन्सी आर. एस.आर.डी.सी. से करवाये जाने, इस निर्माण कार्य का प्लान एवं एम.ओ.यू. दिनांक 18-03-2008 व प्रस्तावित व्यय, इत्यादि को भी अनुमोदन हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

(iii) यह तथ्य भी विशेष रूप से प्रबन्ध मण्डल के ध्यान में लाया गया कि एकेडेमिक ब्लॉक (स्कूल ऑफ साइन्स), लाइब्रेरी ब्लॉक तथा पश्चिमी कम्पाउण्ड-वॉल (शेष चार दीवारी) के निर्माण कार्यों को जन-सहभागिता योजना के अन्तर्गत सम्पन्न कराने के प्रस्ताव जिला कलेक्टर, बीकानेर को विश्वविद्यालय द्वारा भेजा जा चुका है। अतः इस प्रस्ताव के अन्तर्गत इन निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत रुपये 467.00 लाख की 50 प्रतिशत राशि 233.50 लाख रु. विश्वविद्यालय की निजी आय (छात्रों से ली जाने वाली परीक्षा शुल्क की राशि) में से व्यय करने तथा कार्यकारी एजेन्सी के रूप में आर.एस.आर.डी.सी. से निर्माण कार्य करवाये जाने का प्रस्ताव भी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही :- प्रबन्ध मण्डल की बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व ही कुलपति महोदय के साथ रहकर माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के निर्मित, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित भवन निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया। अब तक करवाये जा चुके समस्त निर्माण कार्य एवं प्रस्तावित निर्माण के सम्बन्ध में सन्तोष एवं



प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस एजेण्डा बिन्दु के समस्त प्रस्तावों का सर्वसम्मति से प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

4. बीवि/बोम-8/2008/71 : कुलपति सचिवालय का उद्घाटन एवम् द्वितीय फेज के निर्माण कार्य के

शिलान्यास के सम्बन्ध में प्रस्ताव :- माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2008 बीकानेर में होना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय भवन का माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार द्वारा उद्घाटन किया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही द्वितीय फेज में प्रस्तावित निर्माण कार्य तथा उपर्युक्त एजेण्डा संख्या ii में वर्णित पुस्तकालय भवन एवम् एकेडमिक ब्लॉक (स्कूल ऑफ साइन्स) का शिलान्यास भी प्रस्तावित है। कुलपति सचिवालय हेतु फर्नीचर, साज-सज्जा एवं उद्घाटन/शिलान्यास समारोह में होने वाले व्यय की अनुमानित राशि रुपये 7.00 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही :- विचार विमर्श पश्चात् इस एजेण्डा बिन्दु के समस्त प्रस्तावों का सर्वसम्मति से प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुलपति को समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अधिकृत किया गया।

5. बीवि/बोम-8/2008/72 : विश्वविद्यालय के वर्ष 2006-07 के लेखों की सी.ए. रिपोर्ट के अनुमोदन का

प्रस्ताव :- विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2006-07 के लेखों एवं सत्र 2006-07 में खोले गए सेमिनार खाते के लेखों की सनद लेखाकार द्वारा सम्पन्न ऑडिट रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई।

कार्यवाही :- विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार अग्रवाल द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि ऑडिट रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को सम्बोधित है जबकि यह विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा वित्त नियंत्रक को सम्बोधित होनी चाहिए। माननीय सदस्य प्रो. एल.एन. गुप्ता ने इस ऑडिट रिपोर्ट के Annexure -I के बिन्दु संख्या 4 की ओर ध्यानाकर्षित कराते हुए व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय में आन्तरिक लेखा परीक्षा व आन्तरिक नियंत्रण की व्यवस्था न होना गम्भीर स्थिति को दर्शाता है। अतः यह रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है। वित्त नियंत्रक ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की कि विश्वविद्यालय में आन्तरिक लेखा परीक्षा व आन्तरिक नियंत्रण की समुचित व्यवस्था। प्रत्येक दावा

कुलपति महोदय की अनुमति के पश्चात् लेखानुभाग के द्वारा जाँच के पश्चात् ही भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि वित्त नियंत्रक इस रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन करवाकर इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

6. बीवि/बोम-8/2008/73 : विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2007-08 के वास्तविक आय-व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट प्रस्तावों के अनुमोदन का प्रस्ताव :- आय-व्यय के विस्तृत मदवार गत वित्तीय वर्ष 2007-08 का वास्तविक आय-व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गए।

कार्यवाही :- विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्य प्रो. बी.पी. सारस्वत तथा प्रो. एल.एन. गुप्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि बजट को सही प्रक्रिया एवं समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। भविष्य में बजट को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष मार्च में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने तथा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में विलम्ब को देखते हुए अन्तरिम बजट पारित कराने का निर्णय लिया गया तथा इसी की निरन्तरता में कुलपति महोदय की अध्यक्षता में वित्त कमिटी के गठन का सुझाव दिया गया जिसमें प्रबन्ध मण्डल के एक सदस्य को शामिल किया जाए।

इन सुझावों को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2007-08 के वास्तविक आय-व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट प्रस्तावों के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

7. बीवि/बोम-8/2008/74 : कुलपति आवास के बिजली-पानी के बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव :- बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा-11(3) के अन्तर्गत कुलपति राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित वेतन और भत्तों के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों (Perquisites) के हकदार होंगे, जो विहित की जाये।

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर के जाँच दल द्वारा इस विश्वविद्यालय के वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक के लेखों की ऑडिट के दौरान इस व्यय को आक्षेपित करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि यह व्यय स्वयं कुलपति द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए था क्योंकि सुसज्जित आवास/निवास में नियमित उपभोग की बिजली-पानी आदि की सुविधा देय नहीं थी। अतः ऐसी राशि वसूल कर विश्वविद्यालय मद में जमा कराई जावे। वित्तीय वर्ष 2007-08 के

फ-

लिए इस बारे में संकलित सूचना के अनुसार इस मद पर औसत मासिक व्यय रुपये 8000/- आता है। इस स्थिति को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही :- सदन के समक्ष बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा-11(3) के प्रावधानों को प्रस्तुत करते हुए कुलपति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि इस बारे में प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किसी निवास को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता, जिसके फलस्वरूप प्रारम्भ से अब तक निरन्तर कुलपति निवास के बिजली-पानी के बिलों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता रहा है। माननीय सदस्यगण श्री जीतराम, डॉ. ओ.पी. महेन्द्रा, डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल, प्रो. बी.पी. सारस्वत चर्चा के दौरान यह व्यक्त किया कि कुलपति के आवास को अन्य प्राधिकारियों के आवासों की तरह "ऑफिस-कम-रेजिडेन्स" समझा जाना चाहिए। कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि कुलपति आवास में परीक्षा एवं गोपनीय कार्य संचालित होते हैं। अतः यह देखा जाना है कि सुसज्जित आवास/भवन में बिजली, पानी इत्यादि की सुविधाएं शामिल हैं अथवा नहीं, परिनियमों में प्रावधान है या नहीं।

प्रबन्ध मण्डल ने विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया कि कुलपति आवास "ऑफिस-कम-रेजिडेन्स" होता है अतः सुसज्जित आवास/निवास में नियमित उपभोग की बिजली-पानी आदि की सुविधा भी सम्मिलित है। अतः विश्वविद्यालय ही पूर्व की भांति भुगतान करता रहे और आक्षेप निरस्त किये जाने का राज्य सरकार एवं महालेखाकार से पुनः अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया गया।

8. बीवि/बोम-8/2008/75 : दिनांक 25.02.2008 से राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों में छूट प्रदान करने सम्बन्धी प्रस्ताव :- माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.7(3)/FD/Rules/98-I दिनांक 13.03.2008 के द्वारा राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के विभिन्न नियमों में दिनांक 25.02.2008 से जो संशोधन किये गये हैं, उनमें से एक संशोधन के अनुसार रेल से यात्रा करने की स्थिति में टिकट नम्बर का उल्लेख यात्रा भत्ता बिल में किया जाना आवश्यक होने के साथ-साथ सड़क से सार्वजनिक वाहन से यात्रा करने पर न केवल



टिकिट नम्बर का उल्लेख यात्रा भत्ता बिल में करना अनिवार्य है अपितु ऐसी टिकिट भी दावे के साथ प्रस्तुत करना जरूरी है। विचार विमर्श के दौरान यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों में उपस्थित होने वाले माननीय सदस्यों एवं विश्वविद्यालय के कार्य हेतु विश्वविद्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके यात्रा बिलों के दावों का भुगतान उसी रोज करने की परम्परा प्रारम्भ से ही प्रचलित है। विश्वविद्यालय में उपस्थित होने के समय की गयी ऐसी यात्रा के लिए तो उपरोक्त प्रावधान की पालना की जा सकती है परन्तु वापसी यात्रा के भुगतान में यह सम्भव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में ऐसे दावों का भुगतान माननीय सदस्यों, अधिकारियों व कर्मचारियों को यात्रा की समाप्ति के पश्चात् ऐसे दावे अलग से प्रस्तुत करने पर ही संभव है जो प्रचलित प्रक्रिया के विपरीत होने के साथ-साथ सम्बन्धितों के लिए काफी असुविधाजनक भी है। द्वितीय, इसमें डाक व्यय भी विश्वविद्यालय को अलग से भुगतान करना पड़ेगा।

विचार विमर्श के दौरान यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इन परिस्थितियों में यह उचित रहेगा कि रेल्वे वातानुकूलित तथा वायुयान से की जाने वाली वापसी यात्राओं को छोड़कर अन्य परिवहन के सामान्य साधनों से की जाने वाली वापसी यात्राओं का भुगतान आते समय इस हेतु किये गये भुगतान को आधार मानकर बिना टिकिट आदि लिए उसी दिन भुगतान कर दिया जावे। अतः पूर्ण तथ्य, प्रबन्ध मण्डल के समक्ष यात्रा भत्ता नियमों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधन में उचित शिथिलिकरण प्रदान करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये गए।

कार्यवाही :- विचार विमर्श के दौरान वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकार नहीं किया गया है। वर्तमान समय में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रचलित नियमों तथा कुलपति महोदय की अनुमति के आधार पर यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान पारित किये जाने की प्रैक्टिस है। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में प्रचलित नियमों में राजस्थान सरकार के नियमों के अनुरूप संशोधनों की कोई जानकारी नहीं है। अतः विचार विमर्श के बाद प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि रेल्वे वातानुकूलित तथा वायुयान से की जाने वाली वापसी यात्राओं को छोड़कर अन्य परिवहन के सामान्य साधनों से की जाने वाली वापसी यात्राओं का भुगतान आते समय इस हेतु किये गये भुगतान को आधार मानकर बिना टिकिट आदि लिए उसी दिन कर दिया जावे।

५-

9. बीवि/बोम-8/2008/76 : एच.के.एम. महाविद्यालय, घड़साना एवम् एम.जे. कुम्हेरिया महाविद्यालय, रावला मण्डी में परीक्षा, 2007 में हुई अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट :- एच.के.एम. महाविद्यालय, घड़साना एवं एम.जे. कुम्हेरिया महाविद्यालय, रावलामंडी के द्वारा परीक्षा, 2007 में की गई अनियमितताओं की जांच हेतु माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा दिनांक 15.04.2008 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.01(12)बीविबी/जाँच/कॉलेज/2008/1638 दिनांक 16.04.2008 के द्वारा जाँच समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा दिनांक 25.06.2008 को प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कुलपति महोदय द्वारा विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई।

कार्यवाही :- विचार विमर्श के समय माननीय सदस्य डॉ. ओ.पी. महेन्द्रा ने सुझाव दिया कि रावला मण्डी में एक ही कॉलेज होने के कारण एवं छात्रों के हितों को देखते हुए वर्तमान समय में परीक्षा केन्द्र निरस्त करना उचित नहीं है। इस बिन्दु पर विस्तृत विचार के लिए आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

10. बीवि/बोम-8/2008/77 : एम.एन. इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बीकानेर द्वारा सत्र 2005-06

में एम.एस.सी. (उत्तरार्द्ध) के छात्रों से अधिक वसूल की गई फीस लौटाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-
सदन के समक्ष तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया गया कि एम.एन. इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बीकानेर द्वारा सत्र 2005-06 में एम.एस.सी. (उत्तरार्द्ध) बायोटेक्नोलॉजी एवम् माइक्रोबायोलॉजी के छात्रों से निर्धारित राशि से अधिक फीस वसूली की शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत की जाँच रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल की पांचवी बैठक दिनांक 27.09.2006 को माननीय सदस्यों के सामने रखी गई। प्रबन्ध मण्डल ने बहुमत से निर्णय लिया कि संस्था द्वारा अधिक वसूल की गई राशि छात्रों को लौटाने हेतु महाविद्यालय को निर्देशित किया जावे एवं महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशों की पालना न करने पर सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जावे। प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 15606 दिनांक 05.10.2006, पत्रांक 19354 दिनांक 16.11.2006, अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 25800 दिनांक 01.02.2007 एवं पत्रांक 8361 दिनांक 09.07.2008 के द्वारा महाविद्यालय को छात्रों से अधिक वसूल की गई फीस की राशि लौटाने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु महाविद्यालय द्वारा आज दिनांक तक न तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराया गया है और न ही कोई संतोषजनक जवाब

प्रस्तुत किया गया है। प्रबन्ध मण्डल के समक्ष महाविद्यालय के पत्र दिनांक 17.07.2008 सहित उक्त प्रकरण पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :- विचार विमर्श के दौरान सदस्यों में इस आशय की आम राय बनी कि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के समक्ष पूर्ववर्ती तर्क ही प्रस्तुत किये जा रहे हैं तथा प्रबन्ध मण्डल के निर्णय दिनांक 27.09.2006 की पालना आवश्यक है। अतः पूर्ण तथ्यों एवं महाविद्यालय के प्रत्युत्तर सहित इस एजेण्डा बिन्दु को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

टेबल एजेण्डा- (अध्यक्ष महोदय की ओर से प्रस्तुत) :-

I. बीवि/बोम-8/2008/78 (प) : विश्वविद्यालय की सम्पत्ति (आवंटित भूमि) के सम्बन्ध में प्रस्ताव :-

प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष जिला कलक्टर, बीकानेर के पत्र क्रमांक एफ.-12-3() राजस्व/विवि/02 /4578 दिनांक 16-07-2008 तथा 4591 दिनांक 17-07-2008 तथा इनके साथ संलग्न अभिलेखों को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर, बीकानेर के पत्र दिनांक 16-07-2008 में बजरंग रियल्टर्स प्रा0 लि0 व सूद एण्ड सूद प्रा0 लि.के प्रार्थना पत्र का उल्लेख करते हुए यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 01, 02, 15 वाके रूग्नाथसर तहसील बीकानेर में से 5.46 हेक्टर भूमि पर बीकानेर विश्वविद्यालय का कब्जा है जिस पर चार दीवारी का निर्माण भी हो चुका है और शरह नथानिया की खसरा न.08 की विश्वविद्यालय को आवंटित 5.66 हेक्टर भूमि पर खातेदार बजरंग रियल्टर्स प्रा0 लि0 का कब्जा है। उक्त पत्र में खातेदार बजरंग रियल्टर्स प्रा0 लि0 व सूद एण्ड सूद प्रा0 लि. द्वारा चाहे गये विनिमय के सम्बन्ध में तत्काल टिप्पणी चाही गई है।

जिला कलक्टर, बीकानेर के पत्र दिनांक 17-07-2008 में फर्द मौका एवं नक्शा की प्रति संलग्न करके यह अंकित किया गया है कि " फर्द मौका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम रूग्नाथसर के खसरा न. 01, 02 तथा 15 की 5.46 हेक्टर खातेदारी भूमि विश्वविद्यालय की चार दीवारी के अन्दर है। इसी प्रकार शरह नथानिया के खसरा न.08 जो विश्वविद्यालय को आवंटित है इस भूमि में से 5.66 हेक्टर रकबा पर खातेदार का कब्जा है।" इस पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि " बजरंग रियल्टर्स प्रा0 लि0 व सूद एण्ड सूद प्रा0 लि. के उक्त विषयक प्रार्थना पत्र में निवेदानुसार एवं मौका फरद के अनुसार भूमि विनिमय के सम्बन्ध में सम्पर्णनामा/सहमति इस कार्यालय

में भिजवावें, अन्यथा अनाधिकृत रूप से निर्मित चारदीवारी को ध्वस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।”

विचार विमर्श के दौरान विश्वविद्यालय में संधारित पत्रावली के रिकार्ड के अनुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन को अवगत कराया गया कि जिला कलक्टर, बीकानेर के आदेश क्रमांक एफ.-12-3() राजस्व/विवि/02 /4578 दिनांक 11-12-2002 के अनुसार तहसील बीकानेर के ग्राम शरह नथानिया के उपनिवेशन खसरा 12 राजस्व खसरा नं. 8 मीन की 1127.07 बीघा भूमि की किस्म गै.मु. गोचर से खारिज की जाकर राजस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेजों, चिकित्सालय, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत बीकानेर में बहुसंख्यक विश्वविद्यालय की स्थापना (भवन एवं अन्य निर्माण) हेतु निःशुल्क आवंटित की गई थी। नामान्तरकरण संख्या 1 आवंटन 15-02-2003 द्वारा इसका विश्वविद्यालय के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद किया गया।

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बीकानेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पत्रांक 825 दिनांक 08-01-2004 के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2002-03 में प्राप्त 50 लाख रुपये की राशि से वित्तीय वर्ष 2002-03 में विश्वविद्यालय की एक तरफ से चार दीवारी का कार्य प्रारम्भ किया गया था। चार दीवारी के निर्माण का कार्य राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर द्वारा सम्पादित किया गया था। आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड द्वितीय बीकानेर के पत्रांक 29 दिनांक 02-05-2005 के अनुसार इस चारदीवारी के निर्माण कार्य पर कुल 46.00 लाख रुपये खर्च हुए थे। बीकानेर से जैसलमेर रोड के दायी तरफ अनुमानित उत्तर से दक्षिण की तरफ लगभग 3.25 कि.मी. चार दीवारी निर्मित करवाई गई थी। सदन को यह भी बताया गया कि बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण के निर्माण कार्य के दौरान आज दिनांक तक अपनी ओर से किसी चार दीवारी का निर्माण नहीं करवाया गया है। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत फ्रंट साईड में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर निर्माण कार्य अभी हाल ही में जुलाई, 2008 से प्रारम्भ किया गया है जो निर्माणाधीन है। अतः अब तक चारदीवारी का जो भी निर्माण कार्य हुआ है वह जिला प्रशासन की जानकारी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

५८

बीकानेर के पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुआ है। इस दीवार को विश्वविद्यालय की एक सीमा समझते हुए इसमें समाविष्ट भूमि को विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं की भूमि माना गया है।

बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 20 (b) के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को अर्जित करने तथा व्ययनित करने, धारित करने एवं नियंत्रित करने (to Acquire, to Dispose, to hold and to control the property) की शक्तियाँ विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड में निहित है। इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 34 (e) में स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, पट्टे बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण का नियंत्रण राज्य सरकार में निहित है। अतः जिला कलेक्टर, बीकानेर के उक्त पत्रों में अंकित प्रस्तावों सहित समस्त तथ्य प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार विमर्श एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किये गए।

कार्यवाही :- विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर महोदय, बीकानेर से इस आक्षेप का अनुरोध किया जाए कि मौके पर उनके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्रों में वर्णित स्थिति के होने का चारों दिशाओं के नाप जोख व सीमा ज्ञान द्वारा सर्वप्रथम समाधान कर लिया जाए। इसके पश्चात् उनके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्रों में वर्णित स्थिति जैसी स्थिति मौके पर पाये जाने पर- अनावश्यक मुकदमेबाजी को टालने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में- विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि में से विश्वविद्यालय की भूमि की सामिप्यता, अनुलग्नता व निरन्तरता तथा कुल क्षेत्रफल को प्रभावित किये बिना द्वितीय पक्ष को उपयुक्त भूमि विनिमय में दिये जाने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

II. बीवि/बोम-8/2008/78 (ii) : बीकानेर विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत पाँच पद प्रोफेसर एवं पाँच पद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने बाबत :- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14 (13) शि.4/07 दिनांक 11.12.2007 के द्वारा बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के लिए पाँच नवीन विभाग पर्यावरण विज्ञान, माइक्रो बायोलोजी, इतिहास, अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर साईस तथा इनके लिए पाँच पद प्रोफेसर (वेतन श्रृंखला 16400-22400) एवं पाँच पद असिस्टेंट प्रोफेसर (वेतन श्रृंखला 8000-13500) के स्वीकृत किये हैं।

इन पदों की सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता व मानदण्ड यू.जी.सी. द्वारा जारी अद्यतन रेगुलेशन/नोटिफिकेशन के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व अनुसार की जानी अपेक्षित है। जिसके

✍

क्रम में इन पदों को सीधी भर्ती प्रक्रिया के द्वारा भरे जाने के लिए प्रयुक्त नियुक्ति आवेदन-पत्र का प्रारूप प्रबन्ध मण्डल के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

कार्यवाही :- विचार विमर्श के दौरान यह शंका व्यक्त कि गई कि यू.जी.सी. एक्ट व रेगुलेशन्स में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा कोई नामकरण नहीं है। अधिकांश सदस्यों की राय में, असिस्टेंट प्रोफेसर व लेक्चरर एक ही पदनाम है। अतः यह निर्णय लिया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ कोष्ठक में लेक्चरर शब्द भी शंका के निराकरण हेतु अंकित कर दिया जाए। माननीय सदस्य प्रो०बी.पी.सारस्वत ने सुझाव दिया कि जिन समन्वयकों द्वारा पैनल तैयार किया गया है यदि वह समन्वयक ही प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसी स्थिति में नये सिरे से पैनल तैयार किया जाना चाहिए। प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस सुझाव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। विचार विमर्श के पश्चात् इन पदों की सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता व मानदण्ड यू.जी.सी. द्वारा जारी अद्यतन रेगुलेशन/नोटिफिकेशन के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व अनुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा तदनुसार नियुक्ति आवेदन-पत्र का अंतिम प्रारूप तैयार कर प्रयुक्त करने के सम्बन्ध में कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

III बीवि/बोम-8/2008/78 (iii) : सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु माननीय कुलपति महोदय

को अधिकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :- सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कार्यकुशलता के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.07.2008 की कार्यवाही में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में स्टाफ की कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय कार्य के निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार सेवा निवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करने का प्रस्ताव है। विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक 13.02.2007 के द्वारा सत्र 2007-08 तक के लिए 25 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई थी। परन्तु कार्य की अधिकता एवं नियमित स्टाफ की अत्यधिक कमी के मद्देनजर जब तक राज्य सरकार द्वारा नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। तब तक माननीय कुलपति महोदय को विश्वविद्यालय के कार्य निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार संख्या में सेवा निवृत्त कर्मचारियों की संविदा के आधार पर स्थिर वेतन पर नियुक्ति करने के लिए अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 17

(10) डीओपी/ए-11/94 दिनांक 04.10.2006 में 65 वर्ष की आयु तक के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने के निर्देशों के क्रम में माननीय कुलपति महोदय को सेवा निवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कार्य कुशलता के आधार पर विशेष परिस्थितियों में 65 वर्ष से अधिक आयु के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को रखे जाने के लिए भी अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

उक्तानुसार एजेण्डा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
कार्यवाही :- उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार एजेण्डा बिन्दु का विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।

IV बीवि/बोम-8/2008/78 (iv) : विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों की परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं के लिए (1 1/2) गुणा की दर से विश्राम भत्ता स्वीकृत करने बाबत :- परीक्षात्मक कार्यों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को लगातार यात्रा करनी होती है। इस तरह की यात्राओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर से (1 1/2) गुणा दर से विश्राम भत्ता की दर से भुगतान की स्वीकृत की गई थी। राज्य सरकार द्वारा संशोधित यात्रा भत्ता नियमों के लागू होने के पश्चात भी पूर्व की तरह (1 1/2) गुणा दर से विश्राम भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

टेबल एजेण्डा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
कार्यवाही :- विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्य डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल ने इस आशय की आपत्ति व्यक्त की कि इस प्रस्ताव में किसी नियम का उल्लेख नहीं होने से यह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य एवं अनुमोदन योग्य नहीं है। अतः सर्वसम्मति से इस एजेण्डा बिन्दु के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

V बीवि/बोम-8/2008/78 (v) : विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षा-2008 के लिए मानदेय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव :- वर्ष 2008 की समस्त परीक्षा कार्यों हेतु विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्मचारी कल्याण समिति एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य बनी सहमति के अनुसार उसी दरों एवं शर्तों के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जावेगा जो दरें/शर्तें महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा परीक्षा-2008 के लिए स्वीकृत की गई है।

अतः टेबल एजेण्डा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

ph

कार्यवाही :- विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्यगण डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल, प्रो. बी.पी. सारस्वत द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को मानदेय दिया जाना उचित नहीं है वरन् उन्ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ही दिया जाना चाहिए जो वास्तव में केवल परीक्षा कार्य में लगे हुए हैं। समान अवसर के आशय से रोटेशन के अनुसार कर्मचारियों को प्रति वर्ष परीक्षा कार्य में लगाया जा सकता है।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुकूल देने तथा आदेश की प्रति प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया।

VI बीवि/बोम-8/2008/78 (vi) : कुलपति सचिवालय हेतु गोदरेज कम्पनी के फर्नीचर के क्रय

सम्बन्धी का प्रस्ताव :- कुलपति महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर में कुलपति सचिवालय के भवन का 14, अगस्त, 2008 को लोकार्पण प्रस्तावित है। इस भवन में निम्नलिखित फर्नीचर का लगाया जाना अति आवश्यक है :-

S.No.	Name of Item	Quantity
1.	गोदरेज चेयर माडल नम्बर PCH- 7001D	1
2.	गोदरेज चेयर माडल नम्बर PCH- 7002D	24
3.	गोदरेज चेयर माडल नम्बर PCH- 7003D	24
4.	गोदरेज Priwired Conference Table Model SENATE	20 Seater

उपर्युक्त फर्नीचर की खुली निविदा अल्पसमय में करना सम्भव नहीं है। उपरोक्त सामान की कुल कीमत रुपये 5,89,256/- आंकी गई है। गोदरेज कम्पनी की प्राईस लिस्ट सदन के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

गोदरेज मैक का ही फर्नीचर क्रय करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। क्रय का प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया।

Handwritten signature

कार्यवाही :- विचार विमर्श के पश्चात् गोदरेज कम्पनी की प्राईज लिस्ट के अनुसार ही उपरोक्त प्रस्तावानुसार कुलपति सचिवालय एवं एकेडेमिक कॉन्सिल हॉल इत्यादि हेतु फर्नीचर के क्रय किये जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

VII बीवि/बोम-8/2008/78 (vii) : विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के बाहर के अधिकारियों/कर्मचारियों को परीक्षा-2007 के लिए दिये जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक का अनुमोदन

:- सदन को अवगत कराया गया कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 14.02.08 के निर्णय की अनुपालना में परीक्षा-2007 में बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं विश्वविद्यालय के बाहर अजमेर स्थित महाविद्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान हेतु पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन कर सदन के निर्देशानुसार संशोधित आदेश क्रमांक 179-204 दिनांक 24.07.08 जारी किया गया जो संलग्न कर सदन के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही :- विचार विमर्श के दौरान श्री अरविन्द सिंह शेखावत - वित्त नियंत्रक, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त) ने मत व्यक्त किया कि बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों व अधिकारियों को परिनियमों के अन्तर्गत ही कोई मानदेय या पारिश्रमिक देय हो सकता है तथा राज्य सरकार के साथ किये गए एम.ओ.यू. के अन्तर्गत ऐसे भुगतान के पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है। एजेण्डा बिन्दु में प्रस्तावित ऐसे मानदेय या पारिश्रमिक के सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का कोई नियम या परिनियम प्रस्तुत नहीं होने के कारण यह एजेण्डा बिन्दु अनुमोदन योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यह नहीं बताया गया है कि अनुमोदन हेतु प्रस्तुत आदेश में अंकित अधिकारियों, कर्मचारियों व कार्मिकों द्वारा स्पेशलफिक क्या कार्य किया गया था कि इनको प्रस्तावित पारिश्रमिक या मानदेय दिये जाने का कोई युक्तियुक्त आधार बनता है।

विचार विमर्श के पश्चात् कुलपति महोदय को गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।



VIII बीवि/बोम-8/2008/78 (viii) : विश्वविद्यालय में रिक्त पदों की सीधी भर्ती/तदर्थ पदोन्नति से

भरे जाने का प्रस्ताव :- प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया गया कि बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर में दो वरिष्ठ लिपिक एक कनिष्ठ लिपिक तथा पाँच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद विश्वविद्यालय के गठन से ही रिक्त हैं। प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 11.09.2007 की बैठक में इन रिक्त पदों को तदर्थ पदोन्नति/सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रबन्ध मण्डल में निर्णय हुआ कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को राज्य सरकार के निर्णयानुसार सरप्लस स्टाफ को शीघ्र इस विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने हेतु लिखा जावे। अनुपालना में इस विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक 16477-79 दिनांक 23.10.2007 स्मरण-पत्र क्रमांक 20767-68 दिनांक 20.12.2007 के द्वारा कुलसचिव महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को सरप्लस स्टाफ उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार इन पत्रों की प्रतियाँ राज्य सरकार तथा प्रबन्ध मण्डल के सदस्य माननीय विधायकों को भी प्रेषित की गई। इसके अतिरिक्त पत्रांक 16448 दिनांक 20.10.2007 एवं अनुस्मारक पत्रांक 20769 दिनांक 26.12.2007 के द्वारा राज्य सरकार को भी इन पदों को शीघ्र स्थानान्तरित करने हेतु लिखा गया। परन्तु महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा उक्त कर्मचारी इस विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं।

अतः विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पदों की अत्यधिक कमी को देखते हुए दो वरिष्ठ लिपिक, एक कनिष्ठ लिपिक तथा पाँच चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती /तदर्थ पदोन्नति के द्वारा भरे जाने की राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखे जाने की स्वीकृति पदान करने का प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही :- इस एजेण्डा बिन्दु पर विचार विमर्श के दौरान ध्यान में लाया गया कि इस विषय पर प्रबन्ध मण्डल की छठी बैठक दिनांक 11.09.07 के बिन्दु संख्या 13 में पहले से ही निर्णय पारित हो चुका है। अतः महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर तथा राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया गया।

51

VIII बीवि/बोम-8/2008/78 (ix) : राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सहायता/अनुदान राशि :- अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि विभिन्न संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा समय-समय पर शैक्षणिक सेमीनार/सिम्पोजिया/कान्फेन्सेज का आयोजन किया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय को संरक्षक/पेट्रन बनाया जाता है तथा आयोजन हेतु सहायता राशि की मांग की जाती है। बैठक में विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया कि कुलपति ऐसी सेमीनार/सिम्पोजिया/कान्फेन्सेज जहाँ विश्वविद्यालय को संरक्षक/पेट्रन बनाया जाता है, उन्हें विवेकाधीन कोष से अधिकतम राज्यस्तरीय आयोजन हेतु 10,000/-, राष्ट्रीय स्तर आयोजन हेतु 20,000/- एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन हेतु 50,000/- की सहायता राशि की स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।



कुलसचिव